



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 31.07.2021

1-कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की आई टी सैल ग्रे0नो0 व बीटा 2 पुलिस के संयुक्त प्रयास से आपराधिक षडयन्त्र कर धोखाधडी करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 30.07.2021 को आई टी सैल ग्रे0नो0 व बीटा 2 पुलिस के संयुक्त प्रयास से थाना बीटा 2 पर पंजीकृत मु0अ0सं0 679/20 धारा 420/467/468/471/120बी/406 भादवि व 66 आई टी एक्ट में वांछित अभियुक्त रतन सिंह राना पुत्र स्वर्गीय श्री रामस्वरूप राना निवासी अग्रवाल मण्डी टटीरी थाना कोतवाली बागपत जिला बागपत को उसके निवास स्थान से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त द्वारा अपने पुत्रों सतीश राना व प्रदीप राना (पूर्व मे गिरफ्तार) के साथ मिलकर आपराधिक षडयन्त्र कर थाना बीटा 2 पर पंजीकृत मु0अ0सं0 391/16 धारा 420,467,468,471 भादवि की घटना का भी इकबाल किया गया है।

अपराध करने का तरीका:-

अभियुक्तगण द्वारा आपराधिक षडयन्त्र कर योजनाबद्ध तरीके से खाता धारक श्री सुरेश यादव के मोबाइल नम्बर जो इंडसइंड खाता मे लिंक था की दूसरी नई सिम निकलवाकर एवं फर्जी दस्तावेज से डेबिट कार्ड जारी कराकर खाते से 6730925/- रु0 (67 लाख तीस हजार नौ सौ पच्चीस रु0) हडप लिये थे। हडपे गये रूपयों में से करीब 11 लाख

रूपये डेबिट कार्ड द्वारा एवं शेष रूपयों की आई एम पी एस के माध्यम से भिन्न भिन्न ज्वैलर्स से सोने के सिक्के एवं ज्वैलरी खरीदकर बेचकर आपस में रूपयों का बटवारा कर लिया था जिसमें सह अभियुक्त 1. सतीश राना पुत्र रतन सिंह राना निवासी अग्रवाल मण्डी टटीरी थाना कोतवाली बागपत जिला बागपत वर्तमान निवासी एम जी 10 सी एल्लिको माइस्टिक ग्रीन अपार्टमेंट ओमीक्रोन प्रथम थाना दादरी गौतमबुद्धनगर 2. अनुज पुत्र सतेन्द्र सिंह निवासी सैदपुरा थाना औरंगाबाद जिला बुलन्दशहर वर्तमान निवासी डी 93 ज्यू प्रथम नियर घोड़ी बछेडा थाना दादरी गौतमबुद्धनगर 3. जितेन्द्र कुमार सैनी पुत्र श्यामलाल निवासी सुषमा सदन गुप्ता कालोनी राजा गार्डन जगजीतपुर कनखल हरिद्वार 4. प्रदीप राना पुत्र रतन सिंह नि0 अग्रवाल मण्डी टटीरी थाना बागपत जिला बागपत हाल पता दिल्ली अज्ञात स्थान 5. विक्रम कटारिया पुत्र स्व0 श्री सुनील कुमार कटारिया निवासी बी 1212 मिगसन ग्रीन मेनसन सैक्टर जीटा 1 थाना सूरजपुर ग्रेटर नोएडा को पूर्व में ही इलैक्ट्रॉनिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। उक्त मुकदमे में वादी का ठगी किया गया 67 लाख रुपया वादी के खाते में भरसक प्रयास कर वापस कराया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. रतन सिंह राना पुत्र स्वर्गीय श्री रामस्वरूप राना निवासी अग्रवाल मण्डी टटीरी थाना कोतवाली बागपत जिला बागपत

आपराधिक इतिहास का विवरण:-

1. मु0अ0सं0 679/20 धारा 420/467/468/471/120बी/406 भादवि व 66 आई टी एक्ट थाना बीटा 2 ग्रे0नो0

2. मु0अ0सं0 391/16 धारा 420,467,468,471 भादवि थाना बीटा 2 ग्रे0नो0



2-थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा घरो में चोरी करने वाली 02 अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से दो कंगन पीली धातु , दो चूडी पीली धातु , दो अंगुठी पीली धातु , 06 टोप्स पीली धातु बरामद।

थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा दिनांक 31.07.2021 को 02 अभियुक्ता 1.ऊषा पुत्री चुरामल नि0 ग्राम चितौरा की मढैया थाना चण्डोसी जिला सम्भल वर्तमान निवासी राजू पुत्र लक्खी नि0 ग्राम याकूबपुर थाना फेस 2 गौतमबुद्धनगर 2. सुमन पुत्री पुत्री चुरामल नि0 ग्राम चितौरा की मढैया थाना चण्डोसी जिला सम्भल वर्तमान निवासी राजू पुत्र लक्खी नि0 ग्राम याकूबपुर थाना फेस 2 गौतमबुद्धनगर को इण्डिया टीवी मेट्रो स्टेशन के आगे पुस्ते से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्ताओ के कब्जे से दो कंगन पीली धातु, दो चूडी पीली धातु , दो अंगुठी पीली धातु, 06 टोप्स पीली धातु बरामद हुए है।

अभियुक्ताओ द्वारा दिनांक 29.07.2021 को पूर्वांचल रायल पार्क सोसाइटी, सेक्टर 137 नोएडा में वादी के घर से (1) 6 सोने की चेन, (2) 3 कडे सोने के (3) 2 अँगूठी सोने की (4) 2 कंगन सोने के (5) दो चूडी पतली सोने की (6) 2 अँगूठी सोने की (7) 3 जोडी सोने के टापस चोरी किये थे। जिस सम्बन्ध में थाना सूरजपुर पर मु0अ0सं0 609/21 धारा 380 भादवि पंजीकृत किया गया था।

अभियुक्त का विवरण:

1. ऊषा पुत्री चुरामल नि0 ग्राम चितौरा की मढैया थाना चण्डोसी जिला सम्भल वर्तमान निवासी राजू पुत्र लक्खी नि0 ग्राम याकूबपुर थाना फेस 2 गौतमबुद्धनगर
2. सुमन पुत्री पुत्री चुरामल नि0 ग्राम चितौरा की मढैया थाना चण्डोसी जिला सम्भल वर्तमान निवासी राजू पुत्र लक्खी नि0 ग्राम याकूबपुर थाना फेस 2 गौतमबुद्धनगर

पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0 609/21 धारा 380/411/34 भादवि थाना सूरजपुर बनाम ऊषा व सुमन

बरामदगी का विवरण:

दो कंगन पीली धातु , दो चूडी पीली धातु , दो अंगुठी पीली धातु , 06 टोप्स पीली धातु

3- थाना बिसरख पुलिस द्वारा चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटर साइकिल व चोरी के 58 मोबाइल फोन (विभिन्न कम्पनियो के) कीमत लगभग 06 लाख रूपये व 21600/- रु0 (मुकदमाती) बरामद।

थाना बिसरख पुलिस द्वारा दिनांक 30.07.2021 को एकमूर्ति चौराहे से अभियुक्त 1. फरियाद पुत्र खलील अहमद नि0 सिवाल खास थाना जानी जनपद मेरठ 2. राजेश उर्फ नहने पुत्र राकेश सिंह चौहान नि0 बड़ागांव थाना अरनिया जिला बुलन्दशहर को चोरी की एक टीवीएस मोटर साइकिल व 58 मोबाइल फोन (विभिन्न कम्पनियो के) व 21600/- रु0 (मुकदमाती) के साथ गिरफ्तार किया गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना बिसरख पर 1.मु0अ0सं0 665/2021 धारा 379 भादवि 2.मु0अ0सं0 666/2021 धारा 380 भादवि पूर्व से पंजीकृत है तथा मु0अ0सं0 670/2021 धारा 411/414 भादवि पंजीकृत किया गया है।

अपराध करने का तरीका-

अभियुक्तों द्वारा एनसीआर क्षेत्र में मोबाइल लूट /चोरी की घटनाओं को अन्जाम देते हैं। तथा लूटे/चोरी किये गये सभी मोबाइलों का साफ्टवेयर के माध्यम से लॉक तोड़कर रीसेट करके कम दामों में बेच देते हैं बरामद सभी मोबाइलों की अनुमानित कीमत लगभग 6 लाख रूपये हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. फरियाद पुत्र खलील अहमद नि0 सिवाल खास थाना जानी जनपद मेरठ
2. राजेश उर्फ नहने पुत्र राकेश सिंह चौहान नि0 बड़ागांव थाना अरनिया जिला बुलन्दशहर

आपराधिक इतिहास का विवरण-

- 1.मु0अ0सं0 587/2021 धारा 392 भादवि थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर।
- 2.मु0अ0सं0 665/2021 धारा 379 भादवि थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर।
- 3.मु0अ0सं0 666/2021 धारा 380 भादवि थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर।
- 4.मु0अ0सं0 670/2021 धारा 411/414 भादवि थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर।
- 5.मु0अ0सं0 671/2021 धारा 392 भादवि थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण-

- 1.चोरी की टीवीएस मोटर साईकिल रजि०नं० यूपी 16 बीएल 3057
2. 58 मोबाइल फोन विभिन्न कम्पनीयों के
- 3.अभि० फरियाद के कब्जे से 10000/- रु० नकद सम्बन्धित मु०अ०सं० 671/2021 धारा 392 भादवि थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर ।
- 4.अभि० राजेश के कब्जे से 11600/-रु० नकद सम्बन्धित मु०अ०सं० 587/2021 धारा 392 भादवि थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर ।



4- थाना सेक्टर 49 पुलिस द्वारा दुकान का शटर तोड़कर कर चोरी करने वाले 04 अभियुक्त गिरफ्तार व 02 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में लिये गये, कब्जे से विभिन्न कम्पनियो के 9 मोबाइल फोन, 24 पिल्लर कॉक, 27 कन्सील्ड, 61 एंगल वाल, 53 हैवी लॉग बाडी, 15 लाईट नॉजल कॉक, 16 हैवी नॉजल कॉक, 11 टु इन वन एंगल वाल, 30 लाईट लॉग बाडी, 12 छोटी टोटी, एक सिंक मिक्सर, एक स्पाट, दो स्वान नेक, एक स्पाउट हैण्डल, एक हुक, 18500/- रूपये नगद बरामद।

थाना सेक्टर 49 पुलिस द्वारा दिनांक 31.07.2021 को खन्डरनुमा बिल्डिंग शिव मंदिर सै०48 नोएडा से 04 अभियुक्त 1.श्याम पुत्र मुकेश कुमार निवासी महारेटा थाना कपोड जनपद बुलन्दशहर 2.सौरभ उर्फ कंगारू पुत्र मनोज निवासी मोहल्ला पडीन दरवाजा कस्बा

व थाना जनपद औरैय्या हाल जतन चौहान का मकान ग्राम छलेरा सै0 44 थाना सै0 39 नोएडा 3.सचिन उर्फ चीनू पुत्र मोहम्मद इजाजुल निवासी पुरानी अली बन्दीपुर शिव मन्दिर के पास थाना इकोटेक प्प् नोएडा 4. रवि पुत्र शीशपाल निवासी सीसवाला थाना कबरई महोबा हाल झुग्गी झोपडी सै0 49 नोएडा को गिरफ्तार किया गया है तथा 02 बाल अपचारियों को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से विभिन्न कम्पनियों के 9 मोबाइल फोन, 24 पिल्लर कॉक, 27 कन्सील्ड, 61 एंगल वाल, 53 हैवी लॉग बाडी, 15 लाईट नॉजल कॉक, 16 हैवी नॉजल कॉक, 11 टु इन वन एंगल वाल, 30 लाईट लॉग बाडी, 12 छोटी टोटी, एक सिंक मिक्सर, एक स्पाट, दो स्वान नेक, एक स्पाउट हैण्डल, एक हुक, 18500/- रूपये नगद बरामद हुए है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. श्याम पुत्र मुकेश कुमार निवासी महारेटा थाना कपोड जनपद बुलन्दशहर
- 2.सौरभ उर्फ कंगारू पुत्र मनोज निवासी मोहल्ला पडीन दरवाजा कस्बा व थाना जनपद औरैय्या हाल जतन चौहान का मकान ग्राम छलेरा सै0 44 थाना सै0 39 नोएडा
- 3.सचिन उर्फ चीनू पुत्र मोहम्मद इजाजुल निवासी पुरानी अली बन्दीपुर शिव मन्दिर के पास थाना इकोटेक प्प् नोएडा
4. रवि पुत्र शीशपाल निवासी सीसवाला थाना कबरई महोबा हाल झुग्गी झोपडी सै0 49 नोएडा

02 बाल अपचारी

आपराधिक इतिहास का विवरण-

- (1)मु0अ0सं0 856/2021 धारा 414 भादवि0 बनाम श्याम, सौरभ, सचिन, रवि बाल अपचारी शिवा व लखन थाना सैक्टर 49 नोएडा गौतमबुद्धनगर
- (2)मु0अ0सं0 857/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम श्याम थाना सैक्टर 49 नोएडा गौतमबुद्धनगर
- (3)मु0अ0सं0 858/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम सचिन थाना सैक्टर 49 नोएडा गौतमबुद्धनगर

(4)मु0अ0स0 820/2021 धारा 457/380/411 भा.द.वि. थाना सै049 नोएडा गौ0बु0नगर

(5)मु0अ0स0 848/2021 धारा 457/380/411 भा.द.वि. थाना सै049 नोएडा गौ0बु0नगर

बरामदगी का विवरण-

(1) विभिन्न कम्पनियो के 09 मोबाइल फोन

(2) 24 पिल्लर कॉक

(3) 27 कन्सील्ड

(4) 61 ँगल वाल

(5) 53 हैवी लॉग बाडी

(6) 15 लाईट नॉजल कॉक

(7) 16 हैवी नॉजल कॉक

(8) 11 टु इन वन ँगल वाल

(9) 30 लाईट लॉग बाडी

(10) 12 छोटी टोटी

(11) एक सिंक मिक्सर

(12) एक स्पाट

(13) दो स्वान नेक

(14) एक स्पाउट हैण्डल

(15) एक हुक

(16) 18500/- रूपये नगद



5- थाना सेक्टर 58 पुलिस द्वारा घरों में रैकी कर लूट/डकैती करने वाले बाबा गैंग का पर्दाफाश करते हुये 06 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लूटे हुये नकद 82650/- रूपये, एक पेन्डल, पीली धातु, एक कटोरी मय चम्मच पीली धातु, 08 चांदी के सिक्के सफेद धातु 07 मोबाइल फोन, एक देशी तमंचा मय तीन कारतूस जिन्दा 315 बोर, एक अदद बैंग बरामद।

थाना सेक्टर 58 पुलिस द्वारा दिनांक 30.7.2021 को घरों में रैकी कर लूट/डकैती करने वाले गिरोह के शातिर 06 सदस्यो 1. विक्रम पुत्र होरी लाल निवासी गली नं0 5 अम्बेडकर नगर निकट खुर्जा सिटी स्टेशन थाना खुर्जा जिला बुलन्दशहर 2. विशाल पुत्र राजपाल नि0 ग्राम मीरगढी थाना अतरौली अलीगढ हाल पता बी-4 सैक्टर-55, नोएडा 3. नितिन शर्मा पुत्र प्रदीप शर्मा निवासी दीपक विहार खोडा कालोनी थाना खोडा जिला गाजियाबाद 4. कुशल शर्मा पुत्र कन्हैया लाल शर्मा निवासी 124 अहीरपाडा थाना खुर्जा जिला बुलन्दशहर 5. सचिन पंडित पुत्र मोहन स्वरूप शर्मा निवासी ग्राम नवाबपुर थाना चण्डोस जिला अलीगढ हाल पता शर्मा मेडीकल वाली गली नेहरू गार्डेन खोडा कालोनी थाना खोडा जिला गाजियाबाद 6. रोहित पुत्र आशय कुमार पोरवाल निवासी ग्राम रतनपुरा थाना बकेवर जिला इटावा हाल पता दीपक विहार खोडा कालोनी थाना खोडा जिला गाजियाबाद को जंगल सैक्टर-54 नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से लूटे गये नकद 82650/- रूपये, एक पेन्डल, एक कटोरी मय चम्मच, 08 चांदी के सिक्के, 06 मोबाईल, एक देशी तमंचा मय तीन कारतूस जिन्दा 315 बोर व एक अदद बैंग एचपी कम्पनी की रंग सिल्वर काला बरामद हुये है।

अपराध करने का तरीका:-

अभियुक्तों द्वारा दिनांक 27.07.2021 को वादी के घर लूट की घटना को कारित किया गया

था, जिसके सम्बन्ध में थाना सैक्टर-58, नोएडा पर मु0अ0सं0-712/2021 धारा 392, 342 भादवि पंजीकृत किया गया था ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

- 1.विक्रम पुत्र होरी लाल निवासी गली नं0 5 अम्बेडकर नगर निकट खुर्जा सिटी स्टेशन थाना खुर्जा जिला बुलन्दशहर
- 2.विशाल पुत्र राजपाल नि0 ग्राम मीरगढी थाना अतरौली अलीगढ हाल पता बी-4 सैक्टर-55, नोएडा
- 3.नितिन शर्मा पुत्र प्रदीप शर्मा निवासी दीपक विहार खोडा कालोनी थाना खोडा जिला गाजियाबाद
- 4.कुशल शर्मा पुत्र कन्हैया लाल शर्मा निवासी 124 अहीरपाडा थाना खुर्जा जिला बुलन्दशहर
- 5.सचिन पंडित पुत्र मोहन स्वरूप शर्मा निवासी ग्राम नवाबपुर थाना चण्डोस जिला अलीगढ हाल पता शर्मा मेडीकल वाली गली नेहरू गार्डन खोडा कालोनी थाना खोडा जिला गाजियाबाद
- 6.रोहित पुत्र आशय कुमार पोरवाल निवासी ग्राम रतनपुरा थाना बकेवर जिला इटावा हाल पता दीपक विहार खोडा कालोनी थाना खोडा जिला गाजियाबाद

पंजीकृत अभियोग /आपराधिक इतिहास का विवरण-

- 1.मु0अ0सं0-712/2021 धारा 395, 342, 412, 34, 120बी भादवि थाना सैक्टर-58, नोएडा बनाम विशाल, नितिन शर्मा, कुशल शर्मा, सचिन पंडित, रोहित।
- 2.मु0अ0सं0-722/2021 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना सैक्टर-58, नोएडा
- 3.मु0अ0सं0-127/2017 धारा 363, 366, 376 भादवि थाना खुर्जा नगर जिला बुलन्दशहर

बरामदगी का विवरण-

- 1.नकद 82650/- रूपये,
- 2.एक पेन्डल, पीली धातु

3. एक कटोरी मय चम्मच, पीली धातु

4.08 चांदी के सिक्के सफेद धातु

5.07 मोबाइल फोन

6. एक देशी तमंचा मय तीन कारतूस जिन्दा 315 बोर

7. एक बैग एचपी कम्पनी (रंग सिल्वर काला)

